अनुदान संख्या 28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 28 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3576,27,00		3794,94,00	3444,25,87	-350,68,13
पूरक	Supplementary	218,67,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					86,44,82
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	145,38,00		145,41,00	77,84,82	-67,56,18
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					67,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹35068.13 लाख) दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹21867.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹35068.13 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹21867.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	35333.00			
पू.	S.	1.00	27988.95	27772.03	-216.92
पु.	R.	-7345.05			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2406" वन तथा वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life					
मू.	O.	109875.00				
पू.	S.	2916.00		133392.96	108106.70	-25286.26
पु.	R.	20601.96				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	18600.00				
पू.	S.	1000.00		1.86	..	-1.86
पु.	R.	-19598.14				
मुख्य शीर्ष "3435" पारितंत्र तथा पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment					
मू.	O.	118063.00				
पू.	S.	17950.00		148770.36	147974.83	-795.53
पु.	R.	12757.36				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	75456.00				
				60595.05	60472.33	-1,22,72
पु.	R.	-14860.95				

(I) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹20100.00 लाख का प्रावधान (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹19099.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे:–

(I) Provision of ₹20100.00 lakhs (including supplementary grants of ₹1000.00 lakhs) remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹19099.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "वन्यकरण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय वन्यकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय

(A) "Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development

हरित भारत मिशन" – ₹2800.00 लाख;

(खा) "पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – एकीकृत वन्य जीव पर्यावासों का विकास" – ₹5000.00 लाख;

(गा) "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ₹2800.00 लाख; और

(घा) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण – वायु और जल प्रदूषण निवारण – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹8499.00 लाख (₹999.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹7561.97 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹35334.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में बैठकें आयोजित किए जाने, प्रेस सम्मेलन वर्चुअल मोड में किए जाने, कम संख्या में यात्रायें किए जाने, हिन्दी पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित नहीं किए जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने और व्यय की धीमी प्रगति को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्रक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – एकीकृत वन्य जीव पर्यावासों का विकास" – ₹1420.96 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी प्रगति को देखते हुए वित्त

Programme - National Mission for a Green India" - ₹2800.00 lakhs;

(B) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats" - ₹5000.00 lakhs;

(C) "Forestry - Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹2800.00 lakhs; and

(D) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water Pollution - Control of Pollution" - ₹8499.00 lakhs (including supplementary grant of ₹999.00 lakhs).

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment, Forest and Climate Change" - saving of ₹7561.97 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹35334.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less meetings, press conferences in virtual mode, less tours undertaken, non-conduction of Hindi Award Pratiyogita, receipt of less medical claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(III) Under Major Head "2406" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1420.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs)

मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "वन्यकरण और पारिस्थितिकी विकास" –

(क) "राष्ट्रीय वन्यकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹1074.24 लाख की बचत (₹1587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद उत्कृष्टता केंद्र से कम संख्या में मांग प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन्यकरण (एन. सी. ए.) – राष्ट्रीय प्राधिकरण" – ₹25399.23 लाख की बचत (₹46325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भरती किए गए व्यवसायियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किए जाने, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यालय स्थान को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, नए प्रस्तावों पर विचार नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – सावरेन हरित निधि" – ₹958.42 लाख की बचत (₹3387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत – "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पारि प्रणाली" – ₹973.53 लाख की बचत

was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(B) "Afforestation and Ecology Development" -

(a) "National Afforestation and Ecology Development Programme" - National Mission for a Green India - saving of ₹1074.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1587.00 lakhs) was due to less demand from Indian Council of Forestry & Research Education for Center of Excellence and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "National Compensatory Afforestation (NCA)-National Authority" - saving of ₹25399.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46325.00 lakhs) was due to non-joining of newly recruited professionals, non-materialisation of office space owing to Model Code of Conduct, non-consideration of new proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Sovereign Green Fund" - saving of ₹958.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3387.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "3435" - "Environmental Research and Ecological Regeneration" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of

(₹1150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान एसोसिएट्स के कार्यकाल का विस्तार नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "पर्यावरणीय आयोजना और समन्वयन – पर्यावरण शिक्षा, जागरुकता, अनुसंधान और कौशल विकास" – ₹580.95 लाख की बचत (₹6040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹1389.33 लाख की बचत (₹14013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें व्यय की धीमी प्रगति को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "एकीकृत वन्यजीव पर्यावासों का विकास" – ₹3142.84 लाख की बचत (₹28580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – एकीकृत वन्यजीव पर्यावासों का विकास" – ₹1410.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(गा) "केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – एकीकृत वन्यजीव पर्यावासों का विकास" – ₹1400.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के

₹973.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 lakhs) was due to non-extension of tenure of Research Associate and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Environmental Planning and Coordination - Environment Education, Awareness, Research and Skill Development" - saving of ₹580.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6040.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹1389.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14013.00 lakhs). Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹3142.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28580.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1410.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹515.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ख) "एकीकृत वन्य जीव पर्यावासों का विकास" – ₹1810.00 लाख की बचत (₹6400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ग) "राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण " – ₹524.39 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(डा) "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – सावरेन हरित निधि" – ₹4027.33 लाख की बचत (₹13513.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र देरी से प्रस्तुत किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹360.15 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 65 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹36345.95 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹515.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in submission of utilization certificates by the State Government and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹1810.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6400.00 lakhs) ; and

(c) "Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹524.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(E) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Sovereign Green Fund" - saving of ₹4027.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13513.00 lakhs) was due to delay in submission of utilization certificates by the State Government and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) Under one head saving of ₹360.15 lakhs occurred constituting 65 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹36345.95 lakhs) utilized for augmenting the provision by

कि दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹21866.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:

(का) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – अनुसंधान – स्वायत्त शासी निकायों को सहायता" – ₹22275.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22106.24 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" –

(क) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन – अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन – स्वायत्त शासी निकायों को सहायता" – ₹700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹672.71 लाख हुआ।

(ख) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण" –

(i) "वायु और जल प्रदूषण निवारण – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹8218.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8197.40 लाख हुआ।

(ii) "प्रभाव आकलन – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹2253.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2193.56 लाख था।

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹2899.95 लाख।

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1111.41 लाख का अधिक व्यय (₹18990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैरियर के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, हिन्दी प्रतियोगिता के लिए बोनस और पुरस्कार दिए जाने,

re-appropriation as already reported to parliament while obtaining supplementary grants of ₹21866.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" - "Forestry - Research - Assistance to Autonomous Bodies" - ₹22275.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22106.24 lakhs.

(B) Major Head "3435" -

(a) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Research and Ecological Regeneration - Assistance to Autonomous Bodies" - ₹700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹672.71 lakhs.

(b) "Prevention and Control of Pollution" -

(i) "Prevention of air and water pollution - Control of Pollution" - ₹8218.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8197.40 lakhs.

(ii) "Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - ₹2253.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2193.56 lakhs.

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Control of Pollution" - ₹2899.95 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" - "Forestry" -

(a) "Direction and Administration - Attached/ Subordinate Offices" - excess of ₹1111.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18990.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Mid Career

मालियों की मजदूरी में वृद्धि किए जाने, व्यक्तिगत कंप्यूटरों/डिजिटल उपकरणों की खरीद किए जाने, भारतीय वन सर्वेक्षण के कार्यालय स्थापना के रखरखाव और उन्नयन किए जाने और कार्यालय आवास सामान्य पूल के लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि का भुगतान करने के कारण हुआ।

Training Programmes, bonus and rewards for Hindi Pratiyogita, increase in wages of gardeners, procurement of personal computers/digital equipments, maintenance and upgradation of office establishment of Forest Survey of India and payment of outstanding licence fee of General pool office accommodation.

(ख) "शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ₹910.74 लाख का अधिक व्यय (₹4486.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनकी यात्राओं, राष्ट्रीय वन संसाधान अनुसंधान और अनुप्रयोग संस्थान के अंतर्गत एकीकृत पोर्टल के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और उत्तर पूर्व और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Education and Training - Environmental knowledge and Capacity Building" - excess of ₹910.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4486.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards training and visits of Indian Forest Service Officers, development of Integrated Portal under National Institute for Research and Application of Natural Resources and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4406"	Major Head "4406"				
वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	4810.00			
पू.	S.	1.00	3774.00	3763.96	-10.04
पु.	R.	-1037.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"				
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	9517.00			
पू.	S.	1.00	3766.00	3748.24	-17.76
पु.	R.	-5752.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4406" – "वानिकी – संचार और भवन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1047.04 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4811.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4406" - "Forestry - Communication and Buildings - Attached/ Subordinate Offices" - saving of ₹1047.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4811.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to delay in finalization of award of tender and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी और पर्यावरण – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹5769.76 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9518.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन के निर्माण में प्राकृतिक बाधायें आने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment-Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹5769.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9518.00 lakhs including token supplementary grants of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to natural hindrance for construction of building and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.